रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222694 CG-DL-E-23102020-222694

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं.** 3366] No. 3366] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

# आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3795(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथेनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 मई 2021 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी-II.13012/10/2018-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

नोट: मेथेनॉल के लिए मुख्य आदेश को 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2793(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3-उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात इसे दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना का.आ. 345(अ) और दिनांक 1 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2181(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

5163 GI/2020 (1)

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department of Chemicals and Petrochemicals)

#### **ORDER**

New Delhi, the 22nd October, 2020

**S.O.** 3795(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methanol (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 3rd May, 2021."

[F. No. C.II-13012/10/2018- Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 2793(E) dated the 5<sup>th</sup> August, 2019. Subsequently amended *vide* notification number S.O. 345(E) dated the 24<sup>th</sup> January, 2020 and S.O. 2181(E) dated 1<sup>st</sup> July, 2020.